Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA),
MADHYA PRADESH)
***

Minutes of Agenda for 872nd SEIAA Meeting dtd- 27-02-2025 State Environment I mpact Assessment Authority meeting held from 27/02/2025 to 27/02/2025

Date: 04/03/2025

MoM ID: EC/MOM/SEIAA/517415/2/2025

Agenda ID: EC/AGENDA/SEIAA/517415/2/2025

Meeting Venue: EPCO,Bhopal

Meeting Mode: Physical

Date & Time:

27/02/2025	04:01 PM	06:01 PM

1. Opening remarks

jkT; Lrjh; i;kZoj.k lek?kkr fu/kkZj.k izkf/kdj.k ¼SEIAA½ e/;izns'k dh 872oh cSBd fnukad 27-02-2025 dks Jh f'ko ukjk;.k flag pkSgku] v/;{k] jkT; Lrjh; i;kZoj.k lek?kkr fu/kkZj.k izkf/kdj.k dh v/;{krk esa ,Idks] i;kZoj.k ifjlj] Hkksiky esa fuEukuqlkj lnL;ksa dh mifLFkfr esa lEiUu gqbZ %&

cSBd ds izkjaHk esa izHkkjh vf/kdkjh] lfpoky;] jkT; Lrjh; i;kZoj.k lek?kkr fu/kkZj.k izkf/kdj.k }kjk v/;{k ,oa lnL;ksa dk Lokxr fd;k x;kA

2. Confirmation of the minutes of previous meeting

na

3. Details of proposals considered by the committee

Day 1 -27/02/2025

3.1. Agenda Item No 1:

3.1.1. Details of the proposal

Lehadra Flag Stone Quarry by **RAMNARAYAN PALOD** located at **VIDISHA,MADHYA PRADESH**	
Proposal For	Mining EC Under 5 Ha

Proposal No	File No	Submission Date	Activity (Schedule Item)
SIA/MP/MIN/465772/2024	P2/629/2024	05/04/2024	Mining of minerals (1(a))

3.1.2. Deliberations by the committee in previous meetings

Date of SEAC 1 :17/05/2024
Deliberations of SEAC 1 :
mijksDr izdj.k ds laca/k esa lfefr us fu.kZ; fy;k fd xkS.k [kfutksa ds VkWj izdj.kksa esa lsd dh 745 oha cSBd fnukad 30@04@2024 esa fy;s x;s fu.kZ;kuqlkj ¼dk;Zokgh fooj.k ds i`"B dzekad 70½ ^^xkS.k [kfutksa gsrq rS;kj fd;s x;s LVs.MMZ VkWj** vuqlkj VkWj tkjh fd;s tkus dh vuq'kalk dh tkrh gSA

3.1.3. Deliberations by the SEIAA in current meetings

izkf/kdj.k }kjk izdj.k esa DEIAA **}kjk tkjh i;kZoj.k Loh—fr ds re-appraisal gsrq ifj;kstuk izLrkod }kjk vkWuykbZu ifjos'k iksVZy ij izLrqr nLrkostksa ds vk/kkj ij ,oa** SEAC **dh vuq'kalk ds n`f"Vxr ijh{k.k esa fuEukuqlkj ik;k x;k %&**

i;kZoj.k] ou ,oa tyok;q ifjorZu ea=ky; Hkkjr ljdkj }kjk tkjh dk;kZy;hu Kkiu ¼Office Memorandum½ fnukad 28-04-2023 ds vuqlj.k esa tkjh dk;kZy;hu Kkiu ¼Office Memorandum½ fnukad 15-01-2024 ds vuqlkj ifjos'k iksVZy ij fu/kkZfjr SOP izfdz;k ds vuq:i DEIAA dh i;kZoj.k Lohd`fr SEIAA/SEAC }kjk iqu% ijh{k.k gsrq vkosfnr izdj.k esa ToR tkjh fd;s tkus dk izko/kku ugha fn;k x;k gSA ;}fi mDr Kkiu fnukad 28-04-2023 ds vuqlkj nh xbZ psdfyLV esa DyLVj vfHkizek.khdj.k gsrq [kfut foHkkx ls nLrkost izfdz;k esa lEefyr fd;k tkuk funsZf'kr gSA bl izdj.k esa Hkh DyLVj esa lfEefyr [knkuksa ds vuqlkj 5 gsDVs;j ls vf/kd gksus ds dkj.k SEAC lfefr }kjk Standared ToR tkjh fd;s tkus dh vuq'kalk dh xbZ gSA izdj.k esa ;g Hkh ik;k x;k fd Ik;kZoj.k lykgdkj dh NABET oS/krk lekIr gks pqdh gSA

vr% izkf/kdj.k }kjk fu.kZ; fy;k x;k fd i;kZoj.k] ou ,oa tyok;q ifjorZu ea=ky; Hkkjr ljdkj }kjk tkjh mi;qZDr Kkiuksa ds vuqlj.k esa izdj.k iqu% ijh{k.k gsrq SEAC dks vxzsf"kr fd;k tk;sA rnkuqlkj ifj;kstuk izLrkod dks lwfpr fd;k tk;

3.1.4. Recommendation of SEIAA

Refer-Back to SEAC for Reconsideration

4. Any Other Item(s)

N/A

5. List of Attendees

Sr. No.	Name	Designation	Email ID	Remarks
1	Sh A A Mishra	Member Secretary, SEAC	ms-*****@mp.gov.in	
2	Shri Shiv Narayan Singh Chauhan	Chairman, SEIAA	sns************@yahoo.co.in	
3	Smt R Umamaheswari	Member Secretary, SEIAA	ms.*******@gmail.com	

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 872वी बैठक दिनांक 27.02.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 872वी बैठक दिनांक 27.02.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्रीमती आर. उमा माहेश्वरी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	SIA/MP/MIN/461943/2024	1(a)	सतना	चूनापत्थर खदान	पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण	ADS जारी किया जाये
2.	P2/132/24	1(a)	बैतूल	रेत खदान	ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
3.	P2/712/24	1(a)	सागर	पत्थर खदान	ToR	जारी किया जाये
4.	P–2/708/24	1(a)	पन्ना	रेत खदान	पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित नहीं	सहमत
5.	P2/638/24	1(a)	सिंगरौली	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
6.	P2/636/24	1(a)	सिंगरौली	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
7.	P2/631/24	1(a)	रतलाम	पत्थर खदान	ToR	जारी किया जाये
8.	P2/629/24	1(a)	विदिशा	फर्शीपत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
9.	P2/621/24	1(a)	रतलाम	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
10.	P2/620/24	1(a)	देवास	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित

1. **Proposal No. SIA/MP/MIN/461943/2024 प्रकरण क्रमांक J-11015/8/2000-IA-II (M)** – पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स प्रिज्म सीमेन्ट लि., संयुक्त जनरल मैनेजर (माईन) श्री यू.के. दास, राजदीप रीवा रोड़, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा चूनापत्थर खदान, रकबा 66.434 हे. (माईनेबिल एरिया 36.434) उत्पादन क्षमता 0.3 मिलियन टन प्रतिवर्ष, ग्राम मनकहरी, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना (म.प्र.) को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स प्रिज्म जॉनसन लि., वरिष्ठ जनरल मैनेजर (माईन) श्री चन्द्र शेखर पंडित, ग्राम मनकहरी, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण ।

(आर. उमा महेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय समाघात प्राधिकरण की 838 वी बैठक दिनांक 12.03.2024 *में **पर्यावरण स्वीकृति में फर्म का नाम परिवर्तन कर हस्तांतरण किये जाने हेतु*** निम्नानुसार निर्णय लिया गया "....*.**नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–***

I. **पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स प्रिज्म सीमेन्ट लि., 305, लक्ष्मी निवास आपर्टमेन्ट, अमरप्रीत, हैदराबाद**, द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स जॉनसन लि., वरिष्ठ जनरल मैनेजर (माईन) श्री चन्द्र शेखर पंडित, ग्राम मनकहरी, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना** *के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त चूना पत्थर खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।*

II. *नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जॉनसन लि., वरिष्ट जनरल मैनेजर (श्री चन्द्रशेखरं पंडित) श्री चन्द्र शेखर पंडित, ग्राम मनकहरी, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।*

III. *भारत सरकार द्वारा पत्र क्र J-11015/8/2000-IA.II(M) दिनांक 14.02.2001 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।*

IV. *मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण आदेश क. 4397/1825/2018/12/1 दिनांक 20.09.2018 की प्रति।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में EIA अधिसूचना 2/12006 (Para–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को प्राधिकरण में पंजीबद्ध करते हुए निम्नानुसार दस्तावेज प्राप्त किये जायें :–

1. प्राधिकरण के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 16.08.2023 अनुसार प्रक्रिया शुल्क राशि की प्रति।
2. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम अनुमोदित खनन योजना की प्रति।
3. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं पर्यावरणीय सलाहकार संस्था का प्रमाण पत्र की प्रति।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिन्दु क्र. 1 एवं 3 तक की जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत किये जाने का उपरांत प्रकरण पर पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु विचार किया जायेगा।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन ADS दिनांक 15.05.2024 में उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई।

प्राधिकरण द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि प्रकरण की लीज वैधता अवधि स्पष्ट नही है। अतः प्रकरण को SEAC में पंजीवद्व करते हुये, परियोजना प्रस्तावक से लीज की वैधता से संबधित शासन का आदेश/लीज डीड ADS के माध्यम से 15 दिवस के अंदर प्राप्त की जाये। तदानुसार सर्व संबंधितो को सूचित किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

2. **Case No. P2/132/24:** Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 0.35 Hectare at Khasra No.- 175 in Village - Amadhana Rayyat, Tehsil - Ghodadongri, District - Betul (MP), Maximum Production - 3780 cum per annum by Shri Pramod Dhabai, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. [MIN/446256/2023]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 751वी बैठक दिनांक 15.05.2024 में उक्त प्रकरण में यह निर्णय लिय गया कि *"....प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डीनेट्स, माइनिंग प्लान एवं डी.एस.आर. मे दिये गये कोर्डीनेट्स से भिन्न है, अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को–आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष पुनः ऑन–लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात्) प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित् की जा सके।"*

उक्त प्रकरण के संबंध में यह पाया गया कि प्रकरण SEAC में प्रक्रियाधीन एवं तकनीकी त्रुटिवश SEIAA को प्रेषित हो गया है। अतः प्रकरण आनलाईन परिवेश पोर्टल पर SEAC को अग्रेषित किया जाए ।

3. **Case No. P2/712/24:** Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. for production capacity of 26583 cum per annum at Khasra No. 178 (Part) at Village - Nitarri, Tehsil - Sagar, District - Sagar, (M.P.) by Shri Bharat Arya, Lessee, 46, Mahendra Ample Park, Salaiya, District Bhopal (M.P.).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 752 वी बैठक दिनांक 16.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 752 वी बैठक दिनांक 16.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार स्टैण्डर्ड टॉर के अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR जारी किया जाये एवं आवेदक को सूचित किया जावे :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की सम्पूर्ण जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुरूप समावेश कर EIA के साथ प्रस्तुत किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व पक्की सड़क, नदी, सेतु एवं मानव बसाहट से न्यूनतम 200 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र वन विभाग के मार्गदर्शन में विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया (नो माईनिंग जोन) के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है।

(आर. उमामहेश्वरी)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत ही खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

IV. भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप EIA प्रतिवेदन में अनिवार्यतः समावेश किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य के दौरान उपयोग किये जाने वाले भूमिगत पानी के संबध मे सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर EIA प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रैन वाटर हारवेस्टिंग एवं वेस्ट डिस्पोजल का विधवत प्लान तैयार कर EIA प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान सुरक्षा निदेशालय (DGMS) द्वारा ब्लास्टिंग संक्रिया के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के समस्त उपायों का EIA प्रतिवेदन में विशेष रूप से समावेश किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन बेल्ट में स्थानीय पौधों की प्रजीतियों के वृक्षारोपण का प्लान ईआई, प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाए ।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण EIA प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण EIA में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

4. **Case No. P–2/708/2024:** Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 3.40 ha for production capacity of 28,215 cum per annum at Khasra No. 501 at Village-Harnmpur, Tehsil- Ajaygarh, District- Panna (M.P.) by Shri Dammu Raikwar, OIC-MPSMCL (Junior Manager) District Office – Panna, Paryavas Bhawan, Block-A 2nd Floor Arera Hills, Bhopal (M.P.) [MIN/435481/2023].

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 749वी बैठक दिनांक 09.05.2024 में उक्त प्रकरण मे निम्नानुसार अनुशंसा की गई है।

"....समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में लीज क्षेत्र के बीच में एक पक्का रोड ब्रिज है, लीज क्षेत्र के बीच में एक पक्का रोड ब्रिज है, जो मेजर ब्रिज है, एवं एक अन्य रपटा जैसी अस्थायी प्रकृति की संरचना लगभग 454 मी. पर Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

पेज न. के पेज न22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 0 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 0 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01 कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमे 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।..."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 849वी बैटक दिनांक 14.05.2024 में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि *"......उक्त प्रकरण SEAC की 749–A वी बैठक दिनांक 09.05.2024 के कार्यवाही विवरण में अनुशंसित किया गया है परन्तु प्रकरण परिवेश पोर्टल पर आनलाईन प्राधिकरण को प्रेषित नही किया गया है तथा उक्त प्रकरण को SEAC की 750 वी बैठक के एजेण्डे में अनुसंशा हेतु सम्मलित कर लिया गया है । अतः प्रकरण SEAC से आनलाईन प्राप्त हाने तक को Defer किया जाता है।"*

उपरोक्त *प्रकरण* आनलाईन SEIAA को प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण में SEAC की बैठक 749-A दिनांक 09.05.2024 की अनुशंसा के अनुसार चर्चा की गई । चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया की SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

5. **Case No. P2/638/24:** Prior Environment Clearance for Stone quarry with a Production Capacity of 75,074 cubic meter per year stone having a lease area of 3.29 hectares, at Khasra No. 436/1, 436/2, 436/3, 436/4, 437 & 438, Village Karami, Tehsil Mada, District Singrauli (M.P.) by Shri Bhrighu Gupta, Khadia Bazar, Shaktinagar, Sonbhadra (U.P.) - 231222. ToR (DEIAA to SEIAA).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 752 वी बैठक दिनांक 16.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति के re-appraisal हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की अनुशंसा के दृष्टिगत परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है। यद्वपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में क्लस्टर अभिप्रमाणीकरण हेतु खनिज विभाग से दस्तावेज प्रक्रिया में सम्मलित किया जाना निर्देशित है। इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा Standared ToR जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है। प्रकरण में यह भी पाया गया कि पर्यावरण सलाहकार की NABET वैधता समाप्त हो चुकी है ।

(आर. उमामहेश्वरी)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी उपर्युक्त ज्ञापनों के अनुसरण में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

6. **Case No. P2/636/24**: Prior Environment Clearance for Semariya Stone Quarry, Lease in an area of 4.40 ha. for Production Capacity : 120612 Cum per year, at Khasra No. - 505/2, Village Semariya, Tehsil Mada, District Singrauli (M.P.) by Shri Sattendra Baghel, R/o- MIG-164, Navjeevan Vihar, Post Vindhyanagar, District- Singrauli, M.P, 486885. DEIAA to SEIAA ToR.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 752 वी बैठक दिनांक 16.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति के re-appraisal हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की अनुशंसा के दृष्टिगत परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है। यद्वपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में क्लस्टर अभिप्रमाणीकरण हेतु खनिज विभाग से दस्तावेज प्रकिया में सम्मलित किया जाना निर्देशित है। इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा Standared ToR जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी उपर्युक्त ज्ञापनों के अनुसरण में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

7. **Case No. P2/631/24**: Prior Environment Clearance for Gitti, M-Sand in an area of 3.60 ha. for Production Capacity (Gitti – 15306 m3/Year and M-Sand - 15306 m3/Year) (Khasra No. 173), Village- Sarwanikhurd, Tehsil & District- Ratlam (M.P) by Shri Vijay Shankar Pandey, Owner, Add- Komal Nagar, Tehsil- Ratlam, District- Ratlam (M.P). TOR

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 752 वी बैठक दिनांक 16.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 752 वी बैठक दिनांक 16.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार स्टैण्डर्ड टॉर के अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024

(आर. उमामहेश्वरी)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR जारी किया जाये एवं आवेदक को सूचित किया जावे :–

I. प्रकरण में कार्यालय कलेक्टर (खनिज भााखा) रतलाम द्वारा जारी सैद्धान्तिक सहमति पत्र दिनांक 20.02.2024 की वैधता समाप्त हो गई है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज भााखा) रतलाम की वैध अद्यतन स्वीकृति आदेश EIA प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में एकल प्रमाण पत्र खनिज अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया गया है जो कि मान्य नहीं है, अतः जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया एकल प्रमाण पत्र EIA प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की सम्पूर्ण जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुरूप समावेश कर EIA के साथ प्रस्तुत किया जाये।

IV. भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप EIA प्रतिवेदन में अनिवार्यतः समावेश किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन बेल्ट में स्थानीय पौधों की प्रजातियों के वृक्षारोपण का प्लान ईआई, प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाए ।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य के दौरान उपयोग किये जाने वाले भूमिगत पानी के संबध मे सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर EIA प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रैन वाटर हारवेस्टिंग एवं वेस्ट डिस्पोजल का विधवत प्लान तैयार कर EIA प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान सुरक्षा निदेशालय (DGMS) द्वारा ब्लास्टिंग संकिया के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के समस्त उपायों का EIA प्रतिवेदन में विशेष रूप से समावेश किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण EIA प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण EIA में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

8. **Case No. P2/629/24:** Prior Environment Clearance for Flagstone in an area of 1.20 ha. for Production Capacity (Flagstone - 7710 m3/Year) (Khasra No. 151/1), Village Lehadra, Tehsil Basoda, District Vidisha (M.P.) by Shri Ramnarayan Palod, Lessee, R/o- Ganj Basoda, District- Vidisha (M.P.). DEIAA to SEIAA ToR.

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 753 वी बैठक दिनांक 17.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति के re-appraisal हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की अनुशंसा के दृष्टिगत परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है। यद्वपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में क्लस्टर अभिप्रमाणीकरण हेतु खनिज विभाग से दस्तावेज प्रकिया में सम्मलित किया जाना निर्देशित है। इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा Standared ToR जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है। प्रकरण में यह भी पाया गया कि पर्यावरण सलाहकार की NABET वैधता समाप्त हो चुकी है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी उपर्युक्त ज्ञापनों के अनुसरण में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

9. **Case No. P2/621/24:** Prior Environment Clearance for Stone Querry in an area of 1.50 ha. for Production Capacity (Gitti – 7275 m3/Year) (Khasra No. 486/1/1/Ka/1), Village Ringnod, Tehsil Jaora, District Ratlam (M.P.) by Shri Raghuveer Ranawat, Lessee, R/o-Nagda, Tehsil Nagda, District- Ujjain, M.P. DEIAA to SEIAA ToR

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 753 वी बैठक दिनांक 17.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति के re-appraisal हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की अनुशंसा के दृष्टिगत परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरन में जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है। यद्वपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में क्लस्टर अभिप्रमाणीकरण हेतु खनिज विभाग से दस्तावेज प्रकिया में

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

सम्मलित किया जाना निर्देशित है। इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा Standared ToR जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है। प्रकरण में यह भी पाया गया पर्यावरण सलाहकार की NABET वैधता समाप्त हो चुकी है, एकल प्रमाण पत्र कलेक्टर द्वारा अनुमोदित नही है एवं खदान से 50 मीटर की दूरी पर नाला स्थित है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी उपर्युक्त ज्ञापनों के अनुसरण में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

10. **Case No. P2/620/24:** Prior Environment Clearance for Stone in an area of 3.00 ha. for Pruction Capacity (Stone 6000 m3/Year, Murram 3158 m3/Year) (Khasra No. 197/1), Village Khatamba, Tehsil Dewas, District Dewas (M.P.) by Shri Pappu Goud, Lessee, R/o- Village- Shankargarh Dewas, District- Dewas, M.P.- 455001 (DEIAA TO SEIAA ToR)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 753 वी बैठक दिनांक 17.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति के re-appraisal हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की अनुशंसा के दृष्टिगत परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरन में जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है। यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में क्लस्टर अभिप्रमाणीकरण हेतु खनिज विभाग से दस्तावेज प्रकिया में सम्मलित किया जाना निर्देशित है। इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा Standared ToR जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है। प्रकरण में यह भी पाया गया कि पर्यावरण सलाहकार की NABET वैधता समाप्त हो चुकी है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी उपर्युक्त ज्ञापनों के अनुसरन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

Signature Not Verified
Digitally Signed by: Smt R Umamaheswari
Member Secretary, SEIAA
Date: 04/03/2025